न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 24/2019
पंजीयन दिनांक 07.02.2019

(1). कमला पत्नि स्वर्गीय जमना जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

(2). राजू पिता स्वर्गीय जमना जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

(3). धर्मराज पिता स्वर्गीय जमना जाति जाट मृतक के बजाय–

3/1. कान्ता पत्नि स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

3/2. रोनक पुत्र स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट नाबालिग बली संरक्षक माता कान्ता देवी पत्नी स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

3/3. खुश्बु पुत्री स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट नाबालिग बली संरक्षक माता कान्ता देवी पत्नी स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

3/4. अनमोल पुत्र स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट नाबालिग बली संरक्षक माता कान्ता देवी पत्नी स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

(4). माया पुत्री स्वर्गीय जमना पत्नी शिव जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

(5). विनोद पुत्र स्वर्गीय जमना जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

(6). सत्तु पुत्री स्वर्गीय जमना पत्नी कालु जाति जाट निवासी सुवाणा हाल मुकाम सराना तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज0)।

(7). आशा पुत्री स्वर्गीय जमना पत्नी राजु जाति जाट निवासी सुवाणा हाल मुकाम शिवरती तहसील सहाड़ा गंगापुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). सुशीला देवी पुत्री रामपाल जाति माहेश्वरी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर(राज0)।

(2). मंजुदेवी पुत्री रतनलाल जाति माहेश्वरी निवासी देवपुरिया तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(3). सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). उप-पंजीयक गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 60/2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2018

उपस्थित वक्त बहस-(1). अपीलांट्गण-अनुपस्थित
(2). बी.एल.पोखरना-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2
(3). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 02.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट्गण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि मौजा गंगरार तहसील गंगरार की साबिक आराजी संख्या 1672/6, 1672/5, 1672मी. कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा जिसकी नवीन आराजी संख्या 3546, 3547, 3545/4150 कुल किता 3 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के पूर्व खातेदार सूरजमल पिता भोला जाति जाट ने वादीगण अपीलांट्गण के पति एवं पिता जमना को जरिये पंजीकृत बक्षीश नामा दिनांक 09.10.1974 को हस्तांतरित कर कब्जा सुपुर्द किया , तभी से वादीगण अपीलांट्गण के पति एवं पिता जमना व उसकी मृत्यु के पश्चात वादीगण अपीलांट्गण उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जमना द्वारा उक्त पंजीकृत बक्षीश नामे के आधार पर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का नामान्तरण स्वंय के नाम दर्ज करवाने से पूर्व ही खातेदार सूरजमल का स्वर्गवास हो गया। सूरजमल के कोई जायन्दा पुत्र , पुत्री व पत्नी नही होकर कोई वारिस नहीं था। सरजू बेवा किशना जाट को सूरजमल की सगी बहिन होना बताकर बिना जांच पड़ताल के इन्तकाल नम्बर 1157 के द्वारा उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात सरजू बेवा किशना जाट के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दी। उक्त नामान्तरण अवैधानिक होकर प्रभाव शून्य है। उक्त अवैधानिक नामान्तरण के बाद सरजू की मृत्यु होना बताकर विरासतीय इन्तकाल से उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात नामान्तरण संख्या 517 के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

र सरजू की पुत्री जमना के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी मे दर्ज कर दी, जिसकी जानकारी वादी को नहीं दी गई। उक्त दोनो नामान्तरण वादी के हक अधिकारो के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त नामान्तरण की कार्यवाही के पश्चात प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने वादीगण अपीलांटगण के हक मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बक्षीशनामा होने व वादीगण अपीलांटगण का कब्जा होने की जानकारी होते हुए भी अनुचित लाभ प्राप्त करने और वादीगण अपीलांटगण को नुकसान पंहुचाने के लिए कथित फर्जी विक्रय-पत्र स्वयं के पक्ष मे निष्पादित करा लिया। उक्त फर्जी विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1044 स्वीकृत करा उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को राजस्व रेकॉर्ड मे स्वयं के नाम खातेदारी मे दर्ज करा लिया जो वादी के हक अधिकारों के मुकाबले प्रभावशून्य होने से उक्त समस्त नामान्तरण कार्यवाहीयां शून्य घोषित कर इन्द्राज दुरूस्ती कर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को वादीगण अपीलांटगण के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्यां 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 व 2 के खातेदारी की है। उक्त आराजीयात वर्ष 1974 मे सूरजमल पिता भोला जाट के नाम पर गैर खातेदारी मे दर्ज थी जिससे जमना के पक्ष मे गैर खातेदारी की आराजीयात को बक्षीश करने का कानूनी अधिकार सूरजमल को नहीं था । तथाकथित बक्षीशनामा धारा 41 आर.टी. एक्ट के प्रावधान अनुसार शून्य व प्रभावहीन है जिससे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादीगण अपीलांटगण को कोई हक अधिकार नहीं है तथा वादीगण अपीलांटगण का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग नही है। सूरजमल की मृत्यु के बाद जो नामान्तरण संख्या 1157 खोला गया उसमे भी आराजीयात गैर खातेदारी मे थी । सरजू का कब्जा होने से उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात तहसीलदार ने सरजू के नाम दर्ज रेकॉर्ड की तथा जरिये नामान्तरण संख्या 1470 से खातेदारी के अधिकार प्रदान किये। जिससे उक्त नामान्तरण को अवैधानिक प्रभावहीन व शून्य करार नहीं दिया जा सकता है, वर्तमान मे कब्जा भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 का है। सरजू की विरासत का इन्तकाल विधिवत जमना बेवा गोवर्धन जाट निवासी गंगरार के नाम पर खोला गया जिसकी अपील किये जाने की म्यांद भी गुजर चुकी है। वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट्गण के हक मे वैध बक्षीशनामा नहीं है व कब्जा भी वादीगण अपीलांट्गण का नही है। जबकि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 ने दिनांक 15.04.1996 को जमना बेवा गोवर्धन जाट निवासी गंगरार से जरिये रजिस्टर्ड विकय-पत्र से कय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है व उक्त विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 1044 खुलकर स्वयं के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी मे दर्ज हुई है। साथ ही विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तथाकथित बक्षीश नामा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 के हक अधिकारों के मुकाबले प्रभाव शून्य है क्योकि सूरजमल उस वक्त गैर खातेदार था जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-41 के प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। सन 1974 से आज तक उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर वादीगण अपीलांट्गण का कब्जा नहीं है। सभी नामान्तरण की अपीलों की मियाद गुजर चुकी है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे निष्पादित विकय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है, जिससे राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। विक्रेता जमना बेवा गोरधन जाट अभी जीवित है फिर भी उसे प्रकरण मे पक्षकार कायम नहीं किया गया है। भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार कायम नहीं किया गया है। उक्त समस्त कथनो के परिप्रेक्ष्य मे वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के अभिवचनो पर सुनवाई करते हुए दिनांक 29.11.2018 को गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए वादीगण अपीलांट का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलांट व अपीलांटगण स्वयं वक्त बहस अनुपस्थित रहे जिनको बार-बार आवाज लगाई फिर भी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की एकतरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्यां 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के खातेदारी की है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वर्ष 1974 मे सूरजमल पिता भोला जाट के नाम पर गैर खातेदारी मे दर्ज थी जिससे वादीगण अपीलांटगण के पति व पिता जमना के पक्ष मे गैर खातेदारी की आराजीयात को बक्षीश करने का कानूनी अधिकार सूरजमल को नहीं था। तथाकथित बक्षीशनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-41 के प्रावधान अनुसार शून्य व प्रभावहीन है जिससे वादीगण अपीलांटगण का उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे कोई हक अधिकार नहीं है तथा वादीगण अपीलांटगण का उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग नही है। सूरजमल की मृत्यु के बाद जो नामान्तरण संख्या 1157 खोला गया उसमे भी आराजीयात गैर खातेदारी मे दर्ज थी । सरजू का कब्जा होने से उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात तहसीलदार ने सरजू के नाम दर्ज रेकॉर्ड की तथा जरिये नामान्तरण संख्या 1470 से खातेदारी के अधिकार प्रदान किये, जिससे उक्त नामान्तरण को अवैधानिक प्रभावहीन व शून्य करार नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर कब्जा भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 का है। सरजू की विरासत का इन्तकाल विधिवत जमना बेवा गोवर्धन जाट के नाम पर खोला गया जिसकी अपील की जाने की म्यांद भी गुजर चुकी है। वादीगण अपीलांटगण के हक मे वैध बक्षीशनामा नहीं है व कब्जा भी वादीगण अपीलांटगण का नही है। जबकि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण ने दिनांक 15.04.1996 को जमना बेवा गोवर्धन जाट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है व नामान्तरण संख्या 1044 खुलवाकर अपने नाम राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी मे दर्ज करवायी है। साथ ही विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तथाकथित बक्षीश नामा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के हक अधिकारों के मुकाबले प्रभाव शून्य है क्योकि सूरजमल उस वक्त गैर खातेदार था जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-41 के प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। सन 1974 से आज तक वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट्गण का कब्जा नहीं है। सभी नामान्तरण की अपीलों की मियाद गुजर चुकी है। विकेता जमना बेवा गोरधन जाट अभी जीवित है फिर भी उसे प्रकरण मे पक्षकार कायम नहीं किया गया है। भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार कायम नहीं किया गया है। उक्त समस्त कथनो के परिप्रेक्ष्य मे वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है। साथ ही तथाकथित बक्षीशनामा दिनांक 09.10.1974 को निष्पादित करवाकर दिनांक 07.11.1974 को पंजीकृत करवाया गया तत्समय उक्त वर्णित आराजीयात गैर खातेदारी मे दर्ज थी। गैर खातेदार को आराजीयात को हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं होता हे। इस प्रकार सूरजमल जो कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का दान पत्र निष्पादित करते समय गैर खातेदार था जिससे उक्त दान पत्र अवैधानिक होकर प्रभाव शून्य है। दिनांक 20.02.1975 को सूरजमल की विरासत का नामान्तरण के समय भी सूरजमल उक्त वर्णित आराजीयात का गैर खातेदार था। तथाकथित दान पत्र मे दान को स्वीकार किये जाने का उल्लेख भी नहीं है। अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2015 पेज 111 प्रस्तुत कर उक्त दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर लागू होने से व उक्त समस्त कथनो के परिप्रेक्ष्य मे वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण वादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि अनुरूप होना बताकर अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को सारहीन होना बताकर निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्गण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे खातेदार सूरजमल के द्वारा वादपत्र मे वर्णित विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट्गण वादीगण के पति एवं पिता जमना के पक्ष मे बक्षीशनामा दिनांक 09.10.1974 पंजीयन दिनांक 07.11.1974 के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया, जिस समय सूरजमल ने अपीलांट्गण वादीगण के पिता व पति जमना को बक्षीशनामा निष्पादित किया उस वक्त बक्षीशकर्ता उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का खातेदार नहीं होकर गैर खातेदार था। गैर खातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-41 के तहत बक्षीशनामा व अन्य तरीके से गैर खातेदारी की कृषि आराजीयात को हस्तांतरण करने का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए बक्षीशनामा निष्पादित व पंजीकृत होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

था जाता है। उक्त बक्षीशनामे मे दान के प्रतिफल के रूप दानकर्ता की भविष्य मे सेवा किये जाने का उल्लेख है साथ ही उक्त बक्षीशनामे मे दानकर्ता द्वारा दिये गये दान को दानग्रहिता द्वारा स्वीकार किये जाने का उल्लेख भी नहीं है जो बक्षीशनामे की परिभाषा के अनुकूल नहीं है। वक्त नामान्तरण जो सूरजमल के बजाय विरासत से सरजू के नाम स्वीकृत हुआ है वह भी उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के गैर खातेदारी मे रहते हुए स्वीकृत हुआ है। तत्पश्चात सरजू को खातेदारी प्राप्त हुई व विरासत से जमना बेवा गोरधन जाट के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने जमना बेवा गोरधन जाट से पंजीकृत बहनामे से जमीन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसका नामान्तरण संख्या 1044 स्वीकृत होकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वर्तमान मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 13 से साबित है। ऐसी स्थिति मे अपीलांटगण वादीगण ने जिस दस्तावेज को आधार बनाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-41 के प्रावधानो के विपरीत होने से व न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2015 पेज 111 के आधार पर शून्य होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त करने मे किसी प्रकार की अवैधानिकता या अनियमितता होना नहीं पाये जाने से अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 60/2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2018 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 25/2019 /डिक्री

1. श्री कमला पत्नि स्वर्गीय जमना जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।
2. राजू पिता स्वर्गीय जमना जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।
3. धर्मराज पिता स्वर्गीय जमना जाति जाट मृतक के बजाय—

3/1. कान्ता पत्नि स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

-अपीलान्ट

बनाम

1. श्री पुष्पीलाल पिता रामपाल जाति माहेश्वरी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज०)।
2. मंजु देवी पुत्री रतनलाल जाति माहेश्वरी निवासी देवपुरिया तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।
3. सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।
4. उप पंजीयक गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गंगरार .... दि. 29-11-2018 प्रकरण सं. 60/2004 ...... अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 .... रा.का.अ. 1955 को अपीलान्ट की ओर से निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 02-08-2022 अधिवक्ता श्री अपीलान्टगण - अनुपस्थित रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री श्री एस. पोरवाल - अधिवक्ता रेस्पो० सं. 1 व 2, प्रणमल स्वर्णकार - राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० सं. 3 व 4 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलान्टगण वादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 60/2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-11-2018 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि .... / .... रुपये हैं, ... / .... द्वारा .... / .... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... / .... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 02-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 02-08-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

3/2. रोनक पुत्र स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट नाबालिग बली संरक्षक माता कान्हा देवी पत्नी स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।

3/3. खुशबु पुत्री स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट नाबालिग बली संरक्षक माता कान्हा देवी पत्नी स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।

3/4. अनमोल पुत्र स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट नाबालिग बली संरक्षक माता कान्हा देवी पत्नी स्वर्गीय धर्मराज जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।

(4) माया पुत्री स्वर्गीय जमना पत्नी शिव जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।

(5) विनोद पुत्र स्वर्गीय जमना जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।

(6) सन्नु पुत्री स्वर्गीय जमना पत्नी कालु जाति जाट निवासी सुवाणा हाल मुकाम सराना तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)।

(7) आशा पुत्री स्वर्गीय जमना पत्नी राजु जाति जाट निवासी सुवाणा हाल मुकाम शिवरती तहसील सहाड़ा श्रीगंगापुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)